राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दाण्डिक अपील संख्या 145/1989
बसन्ता **बनाम** राजस्थान राज्य।

निर्णय दिनांक : 31 अगस्त,2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एच.पी.सिंह उप0
राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार उप0

न्यायालय द्वारा-

1- अपीलार्थी बसन्ता की ओर से यह अपील, सैशन न्यायाधीश, अलवर के निर्णय दिनांक 5/4/89 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अपराध के लिये 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है और उसपर 500/- रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने की अवस्था में अभियुक्त को छह माह का कठोर कारावास और भुगतने का आदेश दिया गया है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21/7/86 को रामस्वरुप तत्कालीन एस.एच.ओ. लक्ष्मणगढ को सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ0 बाबूलाल ने एक पत्र प्रदर्श पी-11 लिखा कि कुछ आहत व्यक्तियों को अस्पताल में लाये हैं। इस पर रामस्वरुप पी0ड0 12 लक्ष्मणगढ सरकारी अस्पताल में गये और श्री चुन्नीलाल का बयान लिया और उसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श

पी-12 दायर की। श्री चुन्नीलाल ने बताया कि उनके मौहल्ले में एक चौक है और चौक के पास ही रास्ता आम है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। इस रास्ते के पश्चिम में कन्हैया, बसन्ता के मकान हैं। इन मकानों के आगे खाली चौक बताया जाता है जो सभी जातियों का शामलाती है। घटना से लगभग 3-4 माह पूर्व बसन्ता, कन्हैया आदि ने एक चबूतरा बना लिया जिससे चौक की खाली भूमि पर अतिक्रमण हुआ। इसपर चुन्नीलाल व उसके घर वालों ने अन्य गांव वालों के साथ अभियुक्तों से आपत्ति की तो वे नहीं माने और उनसे रंजिश रखने लगे। दिनांक 21/7/86 को चुन्नीलाल का चाचा खिल्लूराम ऊंटगाडा लाया और चौक में खडा कर दिया तो ग्यारसा आदि ने उसको मना किया और गालियां निकाली इसपर खिल्लूराम ने चुन्नीलाल आदि को आकर कहा कि ग्यारसा, बसन्ता वगैरा गालियां निकाल रहे हैं। चुन्नीलाल के भाई रामजीलाल ने कहा कि निकालने दो। इसके बाद ही रामजीलाल का लडका दीपचंद तथा चुन्नीलाल का लडका रोशनलाल बाजार में गये तो अभियुक्तों ने उनको भी गालियां निकाली और सभी अभियुक्त इकटठे हो गये। जगदीश के पासे जैली, बसन्ता व कैलाश के पास फरसी व बाकी के पास लाठियां थीं। अभियुक्त गालियां निकालते हुए चुन्नीलाल, रामजीलाल दीपचंद व रोशनलाल आदि पर टूट पडे। रामजीलाल के बसन्ता ने सिर में फरसी की जान से मारने के उददेश्य से मारी। कन्हैया ने उसके सिर में लाठी मारी। नहनी बीच में पडी तो नहनी के कैलाश ने सिर में फरसी की मारी। प्रेम व जानकी ने लाठियों से मारा। जगदीश ने नारायण के सिर में जैली की मारी व राधेश्याम ने उसके हाथों पर लाठी मारी। दूसरी लाठी का वार राधेश्याम ने चुन्नीलाल पर किया जो उसके हाथ

पर लगी। दीपचंद को भी मारा। यह झगडा सुनकर प्रभु खटीक, लल्लू खटीक, हरबक्श व प्रहलाद खटीक बचाव करने आ गये। लल्लू खटीक के भी बचाव करते समय सिर में चोट लगी। रामजीलाल चोट लगने से बेहोश हो गया जिसको नहनी, नारायण आदि ऊंटगाडी में डालकर अस्पताल ले गये। उसकी हालत उस समय खराब थी। पुलिस ने इसपर मुकदमा रजिस्टर किया और अनुसंधान प्रारम्भ किया। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात पुलिस ने अपीलार्थी तथा अन्य के विरुद्व संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ (अलवर) ने अभियुक्तों को धारा 147, 148, 323, 324, व 307 भारतीय दण्ड संहिता की अन्वीक्षा के लिये सैशन न्यायाधीश, अलवर के समक्ष कमिट किया।

3- तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बसन्ता के विरुद्व धारा 148, 307, 325/149 व 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप लगाये तथा शेष अभियुक्तगण के विरुद्व धारा 147, 307/149, 325/149 व 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप लगाये। सभी अभियुक्तों ने अपने अपने आरोपों को अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहान के बयान कराये गये। प्रलेखीय साक्ष्य में कुछ दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिये गये। अभियुक्तगण ने बयानों में सभी तथ्यों को अस्वीकार किया। बचाव में डॉक्टर हर्षचंद जैन डी0ड01 को प्रस्तुत किया।

4- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान सैशन न्यायाधीश, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 5/4/89 के माध्यम से अभियुक्त बसन्ता को उपरोक्तानुसार सजा से दण्डित किया और शेष अभियुक्तगण को धारा

4 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा पर छोड दिया गया। इसी आदेश के विरुद्व अभियुक्त- अपीलार्थी बसन्ता की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5- मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

6- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.पी.सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 10 डॉक्टर बाबूलाल ने अपने बयानों में कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि आहत रामजीलाल की चोटें प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थीं। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी दो माह से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है और शेष अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का अपराध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता की बजाय धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का बनता है और अपीलार्थी ने न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की समयावधि के दौरान अपने द्वारा कारित अपराध के प्रति प्रायश्चित किया है। उनका यह भी कथन है कि यह प्रकरण करीब 23 वर्ष पुराना है और अपीलार्थी इतने लम्बे समय से इस प्रकरण में विचारण भुगत रहा है, जो उसके लिये अपने आपमें एक मानसिक संताप है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे और यदि न्यायालय अपीलार्थी को उपर्युक्त दोनों लाभों से लाभान्वित नहीं करना चाहता है तो उस परिस्थिति में अपीलार्थी को भुगती हुई सजा पर दोड दिया जावे। अन्त में उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की दोषसिद्वि को

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित कर, उसे भुगती हुई सजा पर छोड दिया जावे।

7- विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने इसका विरोध किया।

8- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात , उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं न्याय प्राप्ति के लिये अपीलार्थी को भुगती हुई सजा पर छोडना उचित समझता हूं क्योंकि अपीलार्थी का अपराध धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता में कारित किया जाना माना जाता है। अत: अपीलार्थी की दोषसिद्वि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित करना उचित है।

9- परिणामत: यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी बसन्ता की दोषसिद्वि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित किया जाता है तथा उसे भुगती हुई सजा पर छोडा जाता है। चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, अत: उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। सैशन न्यायाधीश, अलवर के निर्णय दिनांक 5/4/89 को उपरोक्त प्रकार से रुपान्तरित किया जाता है। विचारण न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता है और क्षतिपूर्ति की राशि विचारण न्यायालय के आदेशानुसार अदा की जावे।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/